न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–45 / 19

धारा–107 द०प्र०सं०

धनेश्वर महतो .....प्रथम पक्ष

बनाम

राधा महतो वगै०.....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
07/02/2020	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहातु के अप्राथमिकी संख्या–12 / 19 दिनांक–30 / 06 / 2019 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। आपसी जमीन विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष गवाह 1:– लखीचरण पहान, पिता–स्व० बैज नाथ पहान ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दोनों पक्ष को जानता हूँ। राधा महतो खेत जोतने गया था जमीन का नाम तुड़ीदा है। समय सुबह का 6–7 बजे था। द्वितीय पक्ष खराब आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। अभी भी प्रथम पक्ष को धमकी दी जाती है। केस के बाद मार–पीट नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष पर कभी केस मुकदमा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष गवाह 2:– कासीनाथ महतो, पिता–श्री गंभीर महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दोनों पक्ष को जानता हूँ। झगड़ा हल जोतने को लेकर है। राधा महतो खेत पर गया था जमीन का नाम तुड़ीदा है। उस समय 200मीटर की दूरी पर बैल चरा रहे थे। तब देखे थे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को धमकी दी जा रही है। कब–कब धमकी दिया है, तारीख का जानकारी नहीं है। द्वितीय पक्ष पर कभी केस हुआ है कि नहीं जानकारी नहीं है। द्वितीय पक्ष से मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। केस होने के बाद मार–पीट हुआ है, जानकारी नहीं है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– धनेश्वर महतो, पिता–स्व० अजमत महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैनें द्वितीय पक्ष पर केस किया है। राधानाथ महतो, पंचू महतो, सुरेन महतो, इन्द्रा महतो, धनीराम महतो, अगनु महतो, लगनु महतो, परमेश्वर महतो, कोलेश्वर महतो, अरविन्द महतो पर केस किए है। घटना 08 / 06 / 2019 समय 6:30–7:00 बजे सुबह में। दिन–शनिवार। कुआँ में नहा रहे थे, तभी देखें, मेरा खेत द्वितीय पक्ष जोत रहे थे। मना करने गये तो मारने के लिए दौड़ाया। केस होने के बाद से कोई झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है। मुझे द्वितीय पक्ष से जान का खतरा है। कभी भी कुछ हो सकता है। थाना में झगड़ा को लेकर केस किए है। आवेदन में लिखे है। जमीन द्वितीय पक्ष जोतने गए तब झगड़ा–झंझट हुआ। घटना स्थल पर 10 या सबको पहचान कर केस किये है। ऐसी बात नहीं है कि हिस्सा नहीं दिये है, तो झगड़ा किए है। मेरे जमीन में जाता है, रोकते है, तो झगड़ा करता है। द्वितीय पक्ष के साथ पहले झगड़ा–झंझट होता था। द्वितीय पक्ष गवाह संख्या–1:– रामरतन महतो, पिता–स्व0 गौरा महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा झंझट हुआ है। केस के बाद झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है। अभी झंगड़ा–झंझट होने की संभावना नहीं है। दोनों पक्ष के बीच पहले भी लड़ाई झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है। पहले जो झगड़ा हुआ था। उसके बाद झगड़ा नहीं हुआ है। विपक्षी अरविन्द महतो मेरा दामाद है। झूठी गवाही नहीं दे रहे है। द्वितीय पक्ष गवाह संख्या–2:– झरी महतो, पिता–स्व० मगला महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दोनों पक्ष को जानता हूँ। झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। दोनों पक्ष एक ही भैयाद है, हिस्सा बट्टा है। परमेश्वर महतो	

तिथि	आदेश	

मेरा दामाद है। पहले अपना–अपना खेत जोतते थे। इसलिए केस नहीं हुआ। किस जमीन के संबंध में गवाही हूँ, उसकी जानकारी नहीं है। केस के बाद झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है।

द्वितीय पक्ष पार्टी गवाहः– राधानाथ महतो पिता–जीवाधन महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष से झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है, जमीन माँग रहे है नहीं दे रहा है। कभी झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है। आगे भी झगड़ा–झंझट नहीं होगा। विवदित जमीन हिस्सा माँगे और जोते तभी केस किया।

वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि यह विवाद प्रश्नगत भूमि पर परस्पर दावेदारी को लेकर उत्पन्न हुआ है, जो कि सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्त्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। द्वितीय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

7/2/2020

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

7/2/2020

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.12 12:47:53 +05:30
Location: 10.93.79.5